कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/ 1976/2021 बिलासपुर, दिनांक 14 मई, 2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1940/2021 दिनांक 04 मई 2021 के माध्यम से बिलासपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 15/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

बिलासपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है किन्तु कोविड–19 से होने वाली मौतें अभी भी चिन्ता का विषय है। अतः कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1940/2021 दिनांक 04 मई 2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, डॉ0 सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1– बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 24/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।

2– उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु–चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

3– शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

4– सभी प्रकार की मण्डियॉ तथा थोक/फुटकर दुकानें बन्द रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मण्डियों में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति **प्रातः 04:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे** तक दी जाती है।

5– फल, सब्जी की होम डिलीवरी **अपरान्हः 02:00 बजे** तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वाले/पिक–अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम

14/05/21

Scanned with CamScanner

से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।

गली मोहल्लो एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली की दुकानें अधिकतम **सायं 04:00 बजे** तक खोली जा सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार (यथा– शनिचरी, बुधवारी, गोल बाजार आदि), मॉल/सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी।

उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से, **प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे** तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन–हाउस डाइनिंग तथा टेक–अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।

6– वाहन मरम्मत/पंचर सुधार/ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपेयरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रीकल दुकानें (शो–रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप/एक्वेरियम, कृषि से संबंधित– (खाद/उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत) दुकानें अधिकतम **सायं 04:00 बजे** तक संचालित की जा सकेंगी।

वाहन विक्रय हेतु शो–रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल सकेंगे।

7– दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि निम्नानुसार होगी–

	विवरण	समयावधि	
क	दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक,	सायं 05:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक
ख	न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों का वितरण	प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक	सायं 05:00 बजे से साय 06:30 बजे तक

उक्त समयावधि में दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरक को दुग्ध एवं डेयरी उत्पाद विक्रय की अनुमति होगी।

8– एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पंखे की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलिवरी के माध्यम से **सायं 04:00 बजे तक** विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार एयर कण्डीशनर, कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लम्बर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी।

14/05/21

Scanned with CamScanner

9— निजी निर्माण कार्य **सायं 05:00 बजे** तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु/गौण वनोपज से संबंधित–संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

10— बैंक एवं पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे।

11— रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे।

12— ई–कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।

13— पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।

14— उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्ध–सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बन्द रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि ए0टी0एम0, टेलीकॉम, पोस्टल एवं कुरियर सेवाएं तथा रेलवे, एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय /वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

15— सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पान/सिगरेट ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले बन्द रहेंगे।

16— उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। किंतु होम डिलिवरी पूर्ववत संचालित होगी।

17— सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पयर्टन स्थल तथा पार्क आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

18— सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

14/05/2021

Scanned with CamScanner

19– प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां, पी0डी0एस0 एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों/रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी की अनुमति होगी।

20– कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

21– उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख –रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड 19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जाएंगे।

22– कोविड–19 टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड–19 टीकाकरण एवं जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

23– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलेव स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

24– मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

14/05/21.

Scanned with CamScanner

25— यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

26— राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51—60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार—प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 15/05/2021 रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।

14/05/21.

(डॉ0 सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक/रीडर—जि0दण्डा/1976—ए/2021 बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2021

प्रतिलिपि—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बिलासपुर जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
12. खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. लीड बैंक अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
15. सर्व थाना प्रभारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. उप संचालक, जनसंपर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. संबंधित सर्व .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. .... समस्त आम जनता, जिला बिलासपुर द्वारा उप संचालक, जनसम्पर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14/05/21.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner